न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ (झुन्झुनू)

(3)

पीठासीन अधिकारी :: दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 194 / 2015

दायर दिनांक– 12.10.2015

1. गोकूल सिंह पुत्र उगम सिह
2. नरपतसिह पुत्र करणी सिंह

जाति राजपूत निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–आवेदक

–:: **बनाम** ::–

1. मगनकंवर पत्नी गोरधन सिह
2. प्रतापसिह पुत्र गोरधन सिंह
3. दिलीप सिंह पुत्र भोपालसिंह
4. मुकेश सिंह पुत्र भोपालसिंह
5. मन्जू कंवर पुत्री गोरधन सिंह
6. राजेश कंवर पुत्री गोरधन सिह

जातिगण राजपूत निवासीगण ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक :– श्री अमर सिंह शेखावत
वकील अनावेदक :– एक पक्षीय

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अ0धारा 212 राज0काश्त0अधि0

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 08.03.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में खाता संख्या 500 की भूमि खसरा नम्बर 1920, 1928, 1929, 1931, रकबा क्रमशः 0.03, 0.10, 0.10, 0.12 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.35 आवेदकगण व अनावेदगण की शामलाती खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। खाता संख्या 323 की भूमि खसरा नम्बर 1922 रकबा 0.10 हैक्टर अवस्थित है, जो समस्त भूम पीढियों से चली आ रही है, जिसके खातेदार काश्तकार है तथा काबिज है इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड है।

आवेदकगण व प्रतिवादीगण नम्बर 20 लगायत 33 अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1931 में मकानात बनाकर आबाद है। खसरा नम्बर 1931की भूमि तक रास्ता खसरा नम्बर 1922 से चलकर 1928 से होता हुआ खसरा नम्बर 1931 मे जाता है, जो राजस्व रिकार्ड में कटाणशुदा है, उक्त रास्ता करीब 12 फुट चौडा है, उक्त रास्ता से ही आवेदकगण व प्रतिवादीगण नम्बर 20 लगायत 33 अपनी रिहायशी गुवाडी मे आते है तथा उसी रास्ते से ऊंट गाड़ी, जीप ट्रेक्टर इत्यादि लेकर आते जाते हैं तथा इसी रास्ते का कदीम से उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करते आ रहे है।

भूमि खसरा नम्बर 1931 में कटाणशुदा रास्ता नक्शा ट्रेश में अंकित है, जो ग्राम खिरोड़ से मोहनवाडी जाने वाले रास्ते से फटकर आबादी भूमि में से होता हुआ खसरा नम्बर 1922 की पूर्वी सीमा से होते आगे दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 1928 से होते हुये खसरा नम्बर [illegible] चला जाता है। नक्शा ट्रेश वाद का ही भाग समझा जावे।

अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 6 के द्वारा [illegible] खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1922 मे से नक्शा ट्रेश में कटाणशुदा रास्ता को बन्द करने [illegible] तारबन्दी हेतु पत्थरों के लीए [illegible] में गाडकर रास्ते में आवरोध उत्पन्न करने लगे तब आवेदकगण ने रास्ता छोडकर तारबन्दी करने को कहा तब उन्होने कहां कि कोई रास्ता नही है, हमारी जमीन है, उसमें हम [illegible] मर्जी जैसा करेगे। अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 6 द्वारा रास्ता आवेदकगण व प्रतिवादीगण नम्बर 20 लगायत 33 कटाणशुदा पर अतिक्रमण कर अपनी भूमि में शामिल कर पत्थरगढी कर ली आरै रास्ता में किसी भी क्षण तारबन्दी कर लेगे और भूमि को बिना रूपान्तरण कराये छोटे–छोटे प्लाट काटकर अकृषि में परिवर्तन करने की धमकी दिनांक 5.10.2015 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

पर आवेदकगण ने मना किया अगर अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 6 अपनी नाजायज मंशा में सफल हो तो आवेदकगण को सख्त हकतलफी पैदा होगी, हालांकि कानूनन ऐसा करने का उनको कोई अधिकार है, ना ही भूमि में छोटे–छोटे प्लाट काटकर कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने का अधिकार है, ना ही में कटाणशुदा रास्ता को भूमि खसरा नम्बर 1922 में शामिल करने का अधिकार है। अगर अपनी जायज मंशा में सफल हो गया तो आवेदगण अपने अधिकारोक से वंचित हो जायेगे, जिससे अपनी हायशी गुवाडी मे नही पहुंच पायेगे, अन्य कोई विकल्प नही अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 6 अवैधानिक व नून को अपने हाथ में लेकर विधि विरूद्ध कार्यवाही कर रहे है, इसलिये आवेदकगण अपने वैध अधिकारों की रक्षार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 6 की नाजायज मंशा में फर्क आ गया है, आवेदकगण को उनके वैध अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है। अगर अनावेदकगण अपनी नाजायज मंशा में सफल होने पर आवेदकगण को उनके वैध अधिकारों से किसी भी क्षण वंचित कर देगे तो आवेदकगण का वाद करना ही व्यर्थ हो जायेगा, साथ ही अपने वैध अधिकारों से वंचित होन पडेगा जिसकी वजह से व्यर्थ की मुकदमें बाजी में फसना पडेगा, जिससे इतना अधिका आर्थिक नुकसान होगा, जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नही होगी तथा मानसिक परेशानी अलग से भुगतनी पडेगी आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है, सुविध का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है इसलिये आवेदकगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, इसलिये अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 6 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि खसरा नम्बर 1922 में अवस्थित कटाणशुदा रास्ते में न तो स्वयं तारबन्दी कर रास्ते को अवरोध करे ना ही अन्य किसी से ऐसा करवाये ना ही उक्त भूमि में बिना परिवर्तन करवाये कृषि भूमि को अकृषि भूमि के छोटे–छोटे प्लाट काटकर विक्रय करे न ही अन्य किसी से ऐसा करवाये मोके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व रास्ते का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि ताफैसला दावा आवेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम खिरोड़ की सरहद में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 1922 रकबा 0.10 हैक्टर में अवस्थित कटाणशुदा रास्ता को अपनी भूमि में शामिल कर न तो स्वयं तारबंदी करे, रास्ता को अवरोध नही करे, ना ही अन्य किसी से ऐसा करवाये, ना ही उक्त भूमि में छोटे–छोटे प्लाट काटकर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बदले, न ही अन्य किसी से ऐसा करवाये, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति यथावत बनाये रखे। ना ही आवेदकगण को कटाण शुदा रास्ता के उपयोग उपभोग में न तो स्वयं बाधा डाले, ना ही अन्य से डलवाये उपयोग उपभोग रास्ते का शांतिपूर्वक करने देवे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनोदकगण की गई। अनावेदकगण संख्या 1, 2, 4 लगायत 6 की तलबी सम्मय रूप से होने के बावजूद इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक नम्बर 3 की ओर से वकील श्री विनोद कुमार शेखावत उपस्थित आये। वकील अनावेदक नम्बर 3 को बार बार अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब पेश नही किया गया तथा आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 1 सीपीसी स्वीकार होकर जबवा अनावेदक नम्बर 3 बंद किया गया।

बहस वकील आवेदक सुनी गई। आवेदक अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया गया कि राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में खाता संख्या 500 की भूमि खसरा नम्बर 1920, 1928, 1929, 1931, रकबा क्रमशः 0.03, 0.10, 0.10, 0.12 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.35 आवेदकगण व अनावेदगण की शामलाती खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। खाता संख्या 323 की भूमि खसरा नम्बर 1922 रकबा 0.10 हैक्टर अवस्थित है, जिस पर खातेदार काश्तकार है तथा काबिज है इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड है। आवेदकगण व प्रतिवादीगण नम्बर 20 लगायत 33 अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1931 में मकानात बनाकर आबाद है। खसरा नम्बर 1931 की भूमि तक रास्ता खसरा नम्बर 1922 से चलकर 1928 से होता हुआ खसरा नम्बर 1931 मे जाता है, जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 1931 में कटाणशुदा रास्ता नक्शा ट्रेश में अंकित है, जो ग्राम खिरोड़ से [illegible] जाने वाले रास्ते से फटकर आबादी भूमि मे से होता हुआ खसरा नम्बर 1922 की भूमि [illegible] खसरा नम्बर 1928 से होते हुये खसरा नम्बर 1931 में चला जाता है। [illegible] बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 के खाता दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 500 की भूमि खसरा नम्बर 1920, 1928, 1929, 1931, रकबा क्रमशः 0.03, 0.10, 0.10, 0.12 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.35 आवेदकगण व अनावेदगण की शामलाती खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। खाता संख्या 323 की भूमि खसरा नम्बर 1922 रकबा 0.10 हैक्टर अवस्थित है, आवेदकगण व प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

(7)

नम्बर 20 लगायत 33 अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1931 में मकानात बनाकर आबाद है। खसरा नम्बर 1931 की भूमि तक रास्ता खसरा नम्बर 1922 से चलकर 1928 से होता हुआ खसरा नम्बर 1931 मे जाता है, जो राजस्व रिकार्ड में कटाणशुदा है, भूमि खसरा नम्बर 1931 में कटाणशुदा रास्ता नक्शा ट्रेश में अंकित है, जो ग्राम खिरोड़ से मोहनवाडी जाने वाले रास्ते से फटकर आबादी भूमि मे से होता हुआ खसरा नम्बर 1922 की पूर्वी सीमा से होते आगे दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 1928 से होते हुये खसरा नम्बर 1931 में चला जाता है। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन दोनो बिन्दुओं का विवेचन एक साथ किया जा रहा है:–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– ग्राम खिरोड़ की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 500 की भूमि खसरा नम्बर 1920, 1928, 1929, 1931, रकबा क्रमशः 0.03, 0.10, 0.10, 0.12 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.35 आवेदकगण व अनावेदगण की शामलाती खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। खाता संख्या 323 की भूमि खसरा नम्बर 1922 रकबा 0.10 हैक्टर अवस्थित है, आवेदकगण व प्रतिवादीगण नम्बर 20 लगायत 33 अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1931 में मकानात बनाकर आबाद है। खसरा नम्बर 1931 की भूमि तक रास्ता खसरा नम्बर 1922 से चलकर 1928 से होता हुआ खसरा नम्बर 1931 मे जाता है, जो राजस्व रिकार्ड में कटाणशुदा है, भूमि खसरा नम्बर 1931 में कटाणशुदा रास्ता नक्शा ट्रेश में अंकित है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदार शामलाती खातेदारी की तथा वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1920 रकबा 0.10 हैक्टर कटाण शुदा रास्ता होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है

1. **सुविधा का संतुलन** :– बिन्दु संख्या 1 में वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदार शामलाती खातेदारी की तथा वर्णित भूमि में कटाण शुदा रास्ता होने पर प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष मे होने के कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष बनता है।
2. **अपूरणीय क्षति** :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से तथा आवेदक विवादग्रस्त भूमि में आवेदक के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदक पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में खाता संख्या 500 की भूमि खसरा नम्बर 1920 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि के मौके की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 12.10. 205 को कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested